शिक्षा का अधिकार

सर्व शिक्षा अभियान

सब पढ़ें सब बढ़ें

राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी-विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल—462 011

दूरभाष : (0755) 2768390, 91, 92, 94, 95 फैक्स : 2552363, 2760561

क्रमांक/राशिके/नियु./2012/1707 भोपाल,दिनांक 15.2.12

प्रति,

कलेक्टर

समस्त जिले (म.प्र.)

विषयः— म.प्र. सर्व शिक्षा अभियान मिशन अंतर्गत सहायक यंत्री एवं उपयंत्री के पद हेतु निर्धारित अर्हता में संशोधन संबंधी ।

सदर्भः— राज्य शिक्षा केन्द्र का पत्र क्रमांक/राशिके/नियु./2011/8579 भोपाल,दिनांक 20.09.2011

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा जिला शिक्षा केन्द्र अन्तर्गत सहायक यंत्री एवं उपयंत्री के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु अर्हता एवं प्रक्रिया निर्धारित करते हुए निर्देश जारी किये गये है। किन्तु अधिकांश जिलों में सहायक यंत्री एवं उपयंत्री के रिक्त पदों की पूर्ति नहीं हो सकी हैं।

अतः राज्य नियुक्ति समिति की बैठक दिंनाक 25.1.2012 में लिये गये निर्णय अनुसार सहायक यंत्री एवं उपयंत्री पद हेतु निम्नानुसार अर्हतायें निर्धारित की जाती हैः—

क.	पदनाम	नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हता	नियुक्ति के लिए वांछनीय अर्हता
1	सहायक यंत्री	मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग महाविद्यालय से प्रथम श्रेणी में बी.ई. सिविल अथवा शासन द्वारा मान्य समकक्ष योग्यता।	ग्रामीण क्षेत्र में भवन निर्माण कार्य का अनुभव।
2	उपयंत्री	किसी भी मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कालेज से द्वितीय श्रेणी में सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री अथवा पोलीटेकनीक महाविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा।	ग्रामीण क्षेत्र में भवन निर्माण कार्य का अनुभव।

अतः उपरोक्तानुसार अर्हताएँ उल्लेखित करते हुए जिला स्तर से विज्ञापन जारी कर रिक्त पदों की पूर्ति शीघ्र सुनिश्चित करें।

आयुक्त

राज्य शिक्षा केन्द्र

पृष्ठा.कमांक / राशिके / नियु. / 2012 / 1708 भोपाल,दिनांक 15-2-12

प्रतिलिपि :–

1. अपर मिशन संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र,भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. मुख्य अभियंता राज्य शिक्षा केन्द्र की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. प्रबंधक, वित्त की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, समस्त जिले की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. प्रशासक राज्य शिक्षा केन्द्र की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केन्द्र,समस्त जिले (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

आयुक्त

राज्य शिक्षा केन्द्र